(वाद सं0–471/4/26/2022)

02.06.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, किरण बाला सिन्हा, के जीवन बीमा पॉलिसी संख्या–515653176, जो दिनांक–28.02.2020 को परिपक्व हो गया था, कि परिपक्वता राशि परिवादी के बचत खाता में न भेजकर उनके मृत पति के बंद पड़े बचत खाता में भेजने से परिवादी को हुई आर्थिक परेशानी से संबंधित है।

उक्त पर जीवन बीमा निगम, पटना शाखा से प्रतिवेदन की माँग की गई। क्षेत्रीय प्रबंधक, पूर्व मध्य प्रक्षेत्र कार्यालय, जीवन बीमा निगम पटना के प्रतिवेदनानुसार ‘‘परिवादी के उपरोक्त कथित जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता राशि 1,46,600/– रूपये (एक लाख छियालीस हजार छह सौ रूपये) दिनांक–17.02.2022 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके बचत खाता में भुगतान किया जा चुका है।’’

अब जबकि परिवादी के शिकायत का सक्षम प्राधिकार द्वारा समुचित समाधान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में क्षेत्रीय प्रबंधक, जीवन बीमा निगम, पटना के उपरोक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ क्षेत्रीय प्रबंधक,जीवन बीमा निगम,पटना के प्रतिवेदन की प्रति (पृष्ठ 03/प0) संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>